न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–रिछपाल सिह बुरडक आर0ए0एस0
अपील संख्या :–**10/2021**

अपीलान्टः–

1. सन्तोष पुत्री श्री रामदेवाराम जाति जाट,
2. उमेदी पुत्री श्री रामदेवाराम जाति जाट,
   समस्त निवासी सींवा तहसील लाडनूं, जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट :–

1. कानाराम पुत्र श्री रामदेवाराम जाति जाट
2. रामकैलाश पुत्र श्री रामदेवाराम जाति जाट
3. मांगी देवी पत्नी श्री रामदेवाराम जाति जाट
4. मोहनराम पुत्र श्री जीवणराम जाति जाट
   समस्त निवासी सींवा तहसील लाडनूं, जिला नागौर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार लाडनूं।

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री विक्रम कुडी अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध नामान्तरण दिनांक 06.06.1992 न्यायालय तहसीलदार लाडनूं अन्तर्गत नामान्तरण संख्या 0335 राजस्थान सरकार बनाम कानाराम के विरूद्ध

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–**30.09.2021**

{1} यह अपील विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 एल आर एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

नामान्तरण संख्या 0355 दिनांक 06.06.1992 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण के पिता स्व0 रामदेवाराम के नाम खेत नम्बर 290 रकबा 21 बीघा, खसरा नम्बर 303 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 44 बीघा 08 बिस्वा वाके सरहद सींवा में अवस्थित है। अपीलांट का वंश वृक्ष निम्नलिखित प्रकार है:–

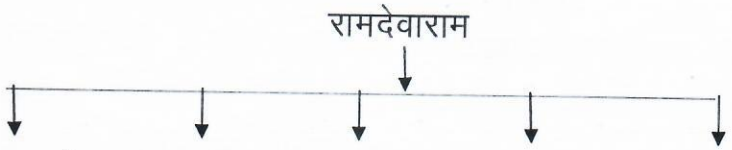

उक्त रामदेवाराम का स्वर्गवास हो चुका है। रामदेवाराम के स्वर्गवास के पश्चात रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने बाला–बाला ही सांठ–गांठ करके दिनांक 06.061992 को नामान्तरण भरवा लिया, जो कि अप्रार्थी सं0 01 ता 03 के नाम से दर्ज हुआ है। जबकि स्व0 रामदेवाराम के दो पुत्रीयॉ भी थी। उनका उक्त खाते में नामान्तरण नहीं भरा गया। जबकि स्व0 रामदेवाराम की जायगा में अपीलांट्स का 1/5–1/5 हक हिस्सा बनता है। फिर भी रेस्पोडेन्ट सं0 01 ता 03 ने अपीलान्ट्स का नाम नहीं भरवा कर उसके हितो पर कुठाराघात किया है, अभी हाल ही में दिनांक 04.12.2019 को खतौनी की नकल ली गई, तब अपीलान्ट को पता चला कि उनका नाम उक्त खतौनी में दर्ज नहीं हैं, रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने उक्त खेताय में से 13 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 04 को विक्रय भी कर दी, जबकि उसको इतना हक हिस्सा बनता ही नहीं है। जिससे व्यथित होकर अपील पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :–

(1) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है, अतः आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की हैं, अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरण दिनांक 06.06.1992 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।

(3) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

3(4) यह है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किसी भी मृतक की जायगा में पुत्र पुत्रीयों का बराबर हिस्सा होता है, परन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने रेस्पोडेन्ट सं0 05 से सांठ–गांठ करके अपीलान्ट्स को उक्त जायगा से महरुम कर दिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

3(5) यह है कि रेस्पोडेन्ट सं0 01 ता 03 उक्त नामान्तरण करवाने के पश्चात उक्त जायगा को बेचने की कोशिश कर रहे है। रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने 13 बीधा भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 04 को बिना किसी हक अधिकार के विक्रय कर दी है, जबकि रेस्पोडेन्ट सं0 01 का इतना हक हिस्सा बनता ही नही है।

4] उक्त नामान्तरण से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील दिनांक 03.01.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट्स की अपील को दिनांक 14.02.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरण 0335 दिनांक 06.06.1992 की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रतिलिपी पेश की है।

{5} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपील के मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन है कि तहसीलदार लाडनुं द्वारा उक्त नामान्तरण 0335 दिनांक 06.06.1992 किया गया। जिसकी अपील अपीलान्ट्स ने दिनांक 03.01.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 के अनुसार निर्वसीयत मरने वाले पुरूष की सम्पति प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूचि के वर्ग 01 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है को न्यागत होगी। पुत्रियां मृतक खातेदार कीी प्रथम श्रेणी की वारिसान हैं। प्रार्थना–पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट जो अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया है को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है बिना सुनवायी के स्वीकृत नामान्तरण में मियाद का कोई महत्व नहीं है। ऐसे एक पक्षीय आदेश में मियाद तात्विक नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

{6} बहस अधिवक्ता अपीलान्ट्स सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एव आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नामान्तरण अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत तथा विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि युक्त होने से अपास्त होने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किसी भी मृतक की जायगा में पुत्र पुत्रीयों का बराबर हिस्सा होता है, परन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने रेस्पोडेन्ट सं0 05 से सांठ–गांठ करके

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपीलान्ट्स को उक्त जायगा से महरूम कर दिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट सं0 01 ता 03 उक्त नामान्तरण करवाने के पश्चात उक्त जायगा को बेचने की कोशिश कर रहे है। रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने 13 बीधा भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 04 को बिना किसी हक अधिकार के विक्रय कर दी है, जबकि रेस्पोडेन्ट सं0 01 का इतना हक हिस्सा बनता ही नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

[7] बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। ग्राम सींवा तहसील लाडनूं के नामान्तरण सं0335 जो तहसीलदार लाडनूं द्वारा दिनांक 06.06.1992 को स्वीकृत किया गया है में मृतक खातेदार रामदेवाराम की विरासत के रूप में उनकी पत्नी व दो पुत्रों के नाम अंकन किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार कोई भूमिधारी निर्वसीयत मर जाये तो उसकी जोत में उसका हित उस स्वीय विधि के अनुसार जिसमें वह अपनी मृत्यू के समय अध्यधीन था, न्यागत होगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 के अनुसार निर्वसीयत फौत होने वाले पुरूष की सम्पति प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूचि कें वर्ग 01 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं को न्यागत होगी। वर्ग 1 के वारिस पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, उसकी विधवा, तथा अन्य दर्शाये गये हैं। अर्थात पुत्रियां मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी हैं और मनमाने ढंग से उनको उनकें पिता की भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता है एवं नामान्तरण भरने में उनको छोड़ा नहीं जा सकता हैं। प्रस्तुत प्रकरण में खातेदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

रामदेवाराम की मृत्यु उपरान्त जो नामान्तरण 0335 दिनांक 06.06.1992 ग्राम सींवा तहसील लाडनूं स्वीकृत किया गया है उसमें हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। अतः उक्त नामान्तरण सं. 0335 दिनांक 06.06.1992 ग्राम सींवा तहसील लाडनुं जिला नागौर निरस्त किया जाता है।

–:आदेश:–

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम सींवा तहसील लाडनुं का नामान्तरण सं. 0335 दिनांक 06.06.1992 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लाडनूं को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर मृतक खातेदार के वारिसान की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)